

प्रेषक,

नवनीत सहगल

अपर मुख्य सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
- 4- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
- 5- आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन उ0प्र0, कानपुर।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग2

लखनऊ: दिनांक 09 अक्टूबर, 2020

विषय: जेम पोर्टल के कार्यान्वयन हेतु गठित उत्तर प्रदेश GOTT-PMU हेतु नोडल अधिकारी और टेक्निकल कर्मचारी नामित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

अवगत ही हैं कि शासनादेश सं-11/2017/523/18-2-2017-97(ल030)/2016, दिनांक 23 अगस्त, 2017 द्वारा समस्त शासकीय क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से किये जाने का निर्णय लिया गया है एवं शासनादेश सं-24/2017/523/18-2-2017-97(ल030)/2016, दिनांक 19 जून, 2020 द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि जेम पोर्टल पर पंजीकरण अथवा क्रय के संबंध में आने वाली किसी भी प्रकार की समस्या के निराकरण के लिए उत्तर प्रदेश GOTT-PMU का गठन किया गया है, जिसमें प्रत्येक विभाग से एक-एक नोडल अधिकारी और टेक्निकल कर्मचारी जेम पोर्टल के कार्य के लिए नामित किया जाना आवश्यक है। अवगत कराना है कि तदक्रम में आपके विभागों द्वारा नोडल अधिकारी और टेक्निकल कर्मचारी नामित नहीं किये गये हैं।

2- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने अधीनस्थ विभागों/उपक्रमों के उत्तर प्रदेश GOTT-PMU हेतु एक नोडल अधिकारी व एक टेक्निकल कर्मचारी को नामित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

नवनीत सहगल

अपर मुख्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।